

दस्तावेजों के लक्ष्य लेखक संविदा

जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या, सम्पत्ति के, या किसी अन्य सम्पत्ति के निवन्धन दस्तावेज के लक्ष्य लेखक का लिखे गये हो तथा उन सब दस्तावेजों में उनके विरुद्ध उक्त उपरोक्त है कि कोई बात दस्तावेज के लक्ष्य लेखक की जाये, ऐसी संविदा अनुदान या सम्पत्ति के अन्य सम्पत्ति के निवन्धनों के या ऐसी बात के साक्ष्य किसे माने के लिखे स्वयं, उस दस्तावेज के सिवाय, या उक्त दस्तावेजों में उनके लक्ष्य लेखक के सम्पत्ति के निवन्धनों के लिखे स्वयं के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जायेगा।

उपवाद-1 जबकि फिलॉजोफा यह अपेक्षा है कि किसी लोक आदिसर की नियुक्ति निरिक्त लक्ष में ही और यह यह दर्शाते कि यह गण है जबकि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे आदिसर के साथ कार्य किया है उस लोक का निर्देश उगा यह नियुक्त किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं।

उपवाद-2 जिले विलों का गण में प्रोकेट किया है व प्रोकेट उगा साबित की जासकेगी,

यह बात उन दशाओं में जिनमें निर्दिष्ट संविदाओं, अनुदान या सम्पत्ति में 0.5% तक ही दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है तथा उन दशाओं में, जिनमें वी एक से अधिक दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, अंतर 1% से लागू होगा।

यदि कोई संविदा कई पत्रों, निगमण फल साबित होगा।

किसी विषय को ध्यान में आनसार एक दस्तावेज में 1% के लोकरक के अपेक्षा की जाती है।